

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पराज (प्राशि) विभाग

क्रमांक: प.5(5)प्राशि/स्था.केम्प/संशो/2018/

जयपुर, दिनांक: 29 JUN 2018

1. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- शासन द्वारा जारी तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश की पालना बाबत।

प्रसंग:- निदेशक, प्राशि राज, बीकानेर का पत्रांक शिविरा/प्रार/शिक्षक-संस्थापन/एफ-6/राज्यादेश स्था./18 दिनांक 25.6.18 एवं आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर का पत्रांक राप्राशिप/जय/शालादर्शन/2018-19/2779 दिनांक 27.6.18

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत इस विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2018 द्वारा जितेवार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

उक्त आदेशों की दिन्दु संख्या 16 में अंकित "अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे" का विलोपन किया जाता है। शेष यथावत्।

www.rajteachers.com

भवदीय,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव
प्राशि एवं पराज (प्राशि)